

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 08 September 2026

वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने ड्रोन और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया

CL SAINI

Published on 29 Sep 2025



वाराणसी | नवरात्र के अवसर पर धार्मिक उन्माद और अफवाह फैलाने जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने रविवार को एक विशेष बैठक की। इस बैठक में उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्रोन उड़ाने की फर्जी खबर फैलाने वालों और अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए।

बैठक में महिला सुरक्षा, वाहन चेकिंग, न्यायालय में लंबित मुकदमों, अवैध खनन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए।

महिला सुरक्षा और मिशन शक्ति 5.0

बैठक के दौरान पुलिस कमिश्नर ने महिला अपराध की रोकथाम और पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने मिशन शक्ति 5.0 अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गांवों में महिला बीट कांस्टेबल चौपाल लगाई जाए, ताकि महिलाओं की समस्याओं को समझा जा सके। शोहदों (संभावित अपराधियों) की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एंटी रोमियो स्कवायड को हर दिन स्कूल, कॉलेज, बाजार, पुलिया आदि पर सक्रिय रहना चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि इस अभियान में प्रभावी कार्यवाही न करने वाले थाना प्रभारी को हटाया जाएगा और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

ड्रोन और सोशल मीडिया पर निगरानी

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हाल में सोशल मीडिया पर ड्रोन उड़ाने की फर्जी खबरें फैलाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लोग भ्रमित और भयभीत हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्रोन उड़ाने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ प्रभावी वैधानिक

कार्यवाही की जाएगी। सीमावर्ती और संवेदनशील मार्गों पर **इंटरसेप्शन पॉइंट्स**, गश्त व्यवस्था और **ड्रोन/सीसीटीवी निगरानी** को और मजबूत किया जाएगा। दंगा नियंत्रण उपकरणों की जाँच की जाएगी और आवश्यकतानुसार उन्हें अद्यतन किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **सोशल मीडिया और अफवाह फैलाने वाले तत्व शहर की कानून-व्यवस्था को बाधित न करें।**

अवैध खनन और गो-तस्करी पर सख्त कार्रवाई

बैठक में पुलिस कमिश्नर ने **अवैध खनन और गो-तस्करी** के मामलों पर भी चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त की जाए। खनन स्थलों की निगरानी और वैधानिक कार्रवाई तेज की जाए। गो-तस्करी और पशु तस्करी के मामलों में इंटरसेप्शन पॉइंट्स को सक्रिय रखा जाए।

पुलिस कमिश्नर ने यह स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण केवल शहर तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सख्ती लागू की जाएगी।

बैठक में शामिल अधिकारियों और तैयारी

इस बैठक में **राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी** भी उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था में सुधार लाना था। पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी थानों में **योजना और कार्रवाई की निगरानी** नियमित रूप से की जाए। मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला सुरक्षा और पीड़ित सहायता के कार्यक्रमों को प्रभावी बनाया जाए। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और फर्जी खबरों का **तुरंत और कड़ा संज्ञान** लिया जाए।

उन्होंने कहा कि अपराधियों और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि समाज में **सकारात्मक संदेश** जाए।

भविष्य की रणनीति और प्रभाव

पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बैठक में भविष्य की रणनीति पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए केवल कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि **जागरूकता कार्यक्रमों और सामुदायिक सहभागिता** के माध्यम से अपराध रोकने पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

- ग्रामीण और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस और जनता के बीच **विश्वास और संवाद** बढ़ाया जाएगा।
- सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों और फर्जी खबरों की पहचान के लिए **तकनीकी साधनों का उपयोग** किया जाएगा।
- दंगा नियंत्रण उपकरण और गश्ती टीमों को उच्च सतर्कता के साथ कार्य करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

इस रणनीति का उद्देश्य न केवल कानून-व्यवस्था को बनाए रखना है, बल्कि नागरिकों के बीच **सुरक्षा और विश्वास की भावना** भी बढ़ाना है।